

(b) by when Government propose to get such allottee shifted to ease the tension prevailing in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH):

(a) A request through Member of Parliament has been forwarded from the All India CPWD Employees Union.

(b) The matter is being looked into.

Maintenance of Tube Wells/Pumps in Pushp Vihar, New Delhi

3389. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any rule under which Construction Divisions of CPWD handover their work to Maintenance Divisions after a prescribed period; if so, the period prescribed for the purpose;

(b) what are the reasons that work relating to maintenance of the tube wells/Pumps in Pushp Vihar, New Delhi have not been handed over by the Electrical Construction Division-IV to Electrical Maintenance Division-XIII so far even after lapse of more than 6 years; and

(c) by when Government propose to get the work handed over to the said Maintenance Division?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH):

(a) There is no such rule.

(b) The Electrical Division No. XIII, which is not a purely maintenance Division, is very heavily loaded and hence not in a position to take up any additional work. Accordingly, the Elect. Constn. Division, which is comparatively light, is continuing to maintain wells/pumps in Pushp Vihar.

(c) There is no such proposal.

उचित दर की दुकानों में अनियमितताएं

3390. श्री रामसिंहभाई पातलोया-भाई राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली, गुजरात तथा अन्य राज्यों के लोगों से 1 जनवरी, 1985 से 30 जून, 1986 की अवधि में उचित दर की दुकानों में हेराफेरी, अनियमितता, कालाबाजारी और धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिये गये और उनके विशुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस संबंध में सुधार करने के लिए क्या नये उपाय किये गये हैं ;

(ङ) क्या सरकार वर्तमान वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं भी उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने का विचार रखती है ; और

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) और (ख) चूंकि अपने-अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन और प्रशासन के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं, अतः हेराफेरी, अनियमितताओं, चोर-बाजारी और धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निपटाई जाती हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जांच की व्यवस्था करते हैं और उचित कार्यवाही, जिसमें जहां वही आवश्यक हो वहां लाइसेंस को रद्द करना भी शामिल है, करते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों